कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर (राज.)

क्रमांक–जि.वि.से.प्रा./जालोर/संविदा वाहन/2021/04 दिनांक–22.7.2021

:: वित्तीय वर्ष, 2021–22 में दिनांक 31.3.2022 तक के लिए
वाहन को मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु विज्ञप्ति ::

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के पत्रांक एफ–7(197/1) राल्सा/संस्था–किराया वाहन/2021/7869–7899 दिनांक 26.4.2021 एवं पत्रांक 8767–8768 दिनांक 13.5.2021 की स्वीकृति के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जालोर कार्यालय को विधिक सेवा कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सफल आयोजन हेतु सम्पूर्ण जालोर न्याय क्षेत्र के लिए 1500 किलोमीटर तक के लिए 26,300/– एवं इससे अधिक चलने पर प्रति किलोमीटर 10/– रूपये के अनुसार अधिकतम 2000/– किलोमीटर तक के लिए 31,350/– रूपये दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि के लिए वाहन प्राथमिकता अनुसार वाहन **महिन्द्रा बोलेरो (Mahendra Bolero)/स्कॉर्पियो (Scorpio)/ महिन्द्रा अरमाडा (Armada) अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष** टैक्सी परमीट वाहन मासिक अनुबन्ध पर किराये पर लेने हेतु ईच्छुक वाहन मालिक/ट्रेवल एजेन्सी मालिक/रजिस्टर्ड फर्मों से वाहन के प्रस्ताव निम्नांकित शर्तों के अधीन आमंत्रित किये जाते हैं–

नियम एवं शर्तें–

1. वाहन टैक्सी के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए तथा 05 वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
2. वाहन के किराया की दर वित्त विभाग, राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक–F.2(4)FD/ SPFC/2017 Jaipur dated 31-3-2021 में वर्णित बिन्दु (जो लागू हो) के अनुसार प्रभावी होगी।
3. वाहन के ब्रेक डाउन/मरम्मत की स्थिति में तुरन्त दूसरा वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा 1,100/– (अक्षरे एक हजार एक सौ रूपये) प्रति दिवस के हिसाब से शास्ति काटी जावेगी।
4. वाहन चालक के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अधीन कोई मुकदमा लम्बित नहीं होना चाहिए।
5. वाहन का बीमा रजिस्ट्रेशन, वाहन चालक का लाईसेन्स व वाहन से सम्बन्धित वांछित समस्त दस्तावेजात की सत्यापित प्रतियां इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
6. राजकीय यात्रा के दौरान वाहन मालिक द्वारा वाहन पर **सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण**'' के नाम की प्लेट लगानी होगी तथा यात्रा समाप्ति के पश्चात् कार्यालय में जमा करानी होगी।
7. वाहन दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी वाहन मालिक की होंगी।
8. वाहन के लिए रखी गई लॉग बुक को प्रतिदिन प्रभारी अधिकारी से समय–समय पर इन्द्राज कर भरी हुई प्रमाणित करवानी होगी।
9. वाहन किराये पर रखने के पश्चात् वाहन मालिक को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध करवाकर एक सप्ताह के भीतर–भीतर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।
10. वाहन किराये पर रखने की अवधि मौजूदा वित्तीय वर्ष, 2021–22 तक यानि 31.3.2022 तक होगी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से सक्षम स्वीकृति प्राप्त होने पर आपसी सहमति से बढाया जा सकेगा।
11. कर्त्तव्य स्थल (Duty Point) से दूरी एवं समय की गणना की जावेगी।
12. वाहन किराये का बिल प्रति माह भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा।
13. वाहन किराये पर लेने सम्बन्धी वित्त विभाग के नवीनतम आदेश लागू होंगे।

प्रस्तावक वाहन **महिन्द्रा बोलेरो (Mahendra Bolero)/स्कॉर्पियो (Scorpio)/ महिन्द्रा अरमाडा (Armada) अथवा इसी श्रेणी का समकक्ष** वाहन से सम्बन्धित अपने प्रस्ताव निम्नांकित दस्तावेजों के साथ दिनांक 29.7.2021 को दोपहर 2.00 बजे तक इस कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। प्रस्तावक अपना प्रस्ताव व्यक्तिशः अथवा इस कार्यालय की ईमेल dlsa20jalore@gmail.com पर प्रेषित कर सकते है।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज (यदि लागू हो) संलग्न किये जाने आवश्यक हैं–

1. वाहन टेक्सी परमीट में रजिस्टर्ड होने के दस्तावेज की प्रति।
2. वाहन के रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र की वैध प्रति (आर.सी.)
3. वाहन का बीमा कराये जाने की प्रति।
4. वाहन के फीटनेस दस्तावेज की प्रति।
5. वाहन से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज, यदि हो।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर

District & Sessions Court
Inward No. 2764
Date 22.7.21
JALORE

क्रमांक– जि.वि.से.प्रा. / जालोर / स्था. / 2021 / 2546 दिनांक–22.7.2021

प्रतिलिपि–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर को पत्रांक एफ–7(197 / 1) राल्सा / संस्था–किराया वाहन / 2021 / 7869–7899 दिनांक 26.4.2021 एवं पत्रांक 8767–8768 दिनांक 13.5.2021 के क्रम में सादर प्रेषित हैं।
2. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सैशन न्यायालय, जालोर को जिला न्यायालय की अधिकृत वेबसाईट पर अपलॉड / प्रकाशन हेतु।
3. जिला कलेक्टर कार्यालय, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. नगर परिषद् कार्यालय जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. वीरमदेव चौक, टेक्सी स्टेण्ड, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
6. हॉस्पीटल चौराहा, टेक्सी स्टेण्ड़, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।
8. सम्बन्धित पत्रावली, कार्यालय हाजा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला न्यायाधीश)
जालोर

22-7-2021